



Neutral Citation No. - 2026:AHC:47025

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3196 वर्ष 2026

अमरजीत सिंह

.....याची

बनाम

भारत संघ एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता

: कार्तिकेय पांडेय, उमैर महमूद

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: ए.एस.जी.आई., बाल मुकुंद

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. यद्यपि वर्तमान रिट याचिका स्वर्गीय संतोष सिंह गिल की मृत्योत्तर ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु प्रस्तुत की गई है, तथापि प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित श्री बाल मुकुंद द्वारा डी.आई.जी.पी.जी.सी., प्रयागराज से प्राप्त दिनांक 02.03.2026 के निर्देश न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिनके अनुसार नामांकन के आधार पर डी.सी.आर.जी. की राशि रुपये 23,51,037/- स्वर्गीय की पत्नी श्रीमती चरणजीत कौर को प्रदान की जा चुकी है, अतः याची, जो कि पुत्र है, उक्त राशि का अधिकारी नहीं है।

2. उक्त स्थिति से अवगत कराए जाने पर, याची के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की प्रार्थना की, ताकि विधि द्वारा उपलब्ध उपयुक्त उपचार का अवलंबन किया जा सके।

3. तदनुसार, उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वर्तमान रिट याचिका को वापस लिया हुआ मानते हुए निरस्त किया जाता है।

4. प्रस्तुत निर्देशों की प्रति याची के विद्वान अधिवक्ता को उपलब्ध कराई जाए।

आज प्रस्तुत निर्देश अभिलेख पर ग्रहण किए जाते हैं तथा परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किए जाते हैं।

दिनांक : 09 मार्च, 2026

राजेश

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।